



Email: director.cswri@icar.gov.in दूरभाष : 01437-220177 फ़ैक्स नं. 91-01437-220163

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला—टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501



F.No.6(377)SP/2017/

Dated 12-07-2022

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

On behalf of Secretary, ICAR the Director, CSWRI, Avikanagar invites online bids in two bid system for संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित सिरोही बकरियों पर अनुसंधान कार्यो में सहायता करने से संबंधित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE, AVIKANAGAR, MALPURA, DISTT. TONK, RAJASTHAN, PIN 304501.**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP <https://eprocure.gov.in/> and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	F.No.6(377)SP/2017/
Date and Time for issue/Publishing	12-07-2022 at 3.00 PM
Document Download/Sale start date and time	13-07-2022 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	13-07-2022 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	02-08-2022 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	03-08-2022 at 3.00PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- Earnest money Rs.30,000/- Security money – 3 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Assistant Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. Bids shall be submitted online only at CPPP website: <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.
2. Tenders/bidders are requested to visit website <https://eprocure.gov.in> regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the Central Public Procurement Portal for e-procurement at <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.
7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 1000/- (Rupees One Thousand only) in favour of “**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**”, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**
8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 30,000/- (Rupees Thirty Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of “**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**”. The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of the contract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date / time of Bid Submission.**
 - a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
 - b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
 - c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
 - d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
 - e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.
11. **Technical Bid :** The following scanned documents are to be furnished by the bidders along with Technical Bid as per the tender document:
 1. Scanned copy of relevant Firm Registration certificate
 2. Scanned copy of Pan card
 3. Scanned copy of GST Certificate. In case, if contractor is not eligible for GST, a certificate is required showing his turnover to be less than Rs.20 lakhs & his claim is to be sustained by documentary evidence like ITR (Income Tax Return), balance sheet, profit & Loss Statement etc.
 4. Scanned copy of ESI and EPF Registration
 5. Scanned copy of D.D. of Tender Fees and E.M.D.
 6. Tender acceptance letter (Annexure I)
 - 7- Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer (S&P)

Chapter II- Scope of Work

संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित सिरौही बकरियों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध पर कराये जाने वाले कार्य का विवरण :-

1. बकरी इकाई पर उपलब्ध कुल बकरियों/बकरों की अनुमानित संख्या **650** है जो कि संस्थान की आवश्यकतानुसार समय-समय पर कम या अधिक हो सकती हैं।
2. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध की अवधि में सेक्टर व उसके आस पास के क्षेत्र की समुचित निगरानी व सुरक्षा करनी होगी। साथ ही सेक्टर के आस-पास आने वाले आवारा जानवरों को भगाते हुये प्रक्षेत्र क्षेत्र/सेक्टर की सुरक्षा करनी होगी।
3. अनुबन्धकर्ता को चराई के दौरान संस्थान के जानवरों की जंगली जानवरों से सुरक्षा करनी होगी।
4. जानवरों की चराई का काम निम्नलिखित समयानुसार होगा:-
 - (1) माह अप्रैल से अगस्त तक प्रातः 6-30 बजे से सायं 6-30 बजे तक (अवकाश समय के साथ)
 - (2) माह सितम्बर से मार्च तक प्रातः 7-30 बजे से सायं 6-00 बजे तक (अवकाश समय के साथ)
5. अनुबन्धकर्ता को प्रतिदिन प्रत्येक रेवड़ के जानवरों को दो बार गिनती करना और उसका रिकॉर्ड रखना होगा। एक बार चरने के लिए भेजते समय और दोबारा जब वे चरने के बाद सेक्टर पर लौटे तब गिनती में किसी बेमेल को तुरन्त सेक्टर प्रभारी को सूचित करना होगा।
6. चराई के बाद जानवरों को प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर रखना होगा एवं उनकी रखवाली/सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी होगी। संस्थान की आवश्यकतानुसार किसी भी सेक्टर के जानवरों को दिन में चराई के बाद रात्रि के समय निर्धारित स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थान पर भी रखे जा सकते हैं तथा उनकी रखवाली व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी।
 - (क) जानवरों का उपचार करते समय जानवरों को पकड़ने के लिए जरूरी सहायता भी अनुबन्धकर्ता को देनी होगी।
 - (ख) समय-समय पर अलग-2 स्थानों पर किये जाने वाले प्रयोगात्मक कार्यों में सहायता करनी होगी।
7. चराई क्षेत्र में कोई जानवर बीमार पड़ने से तुरन्त सेक्टर प्रभारी को सूचित करना होगा। आवश्यकतानुसार बीमार जानवर को सेक्टर पर लाना होगा।
8. किसी भी बकरा/बकरी/मेंमने की मृत्यु होने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर को देनी होगी ताकि उसके पोस्टमार्टम/चीरफाड आदि की व्यवस्था समय पर की जा सके। चरागाह/सेक्टर पर मृत जानवर को गाड़ी में डालने की व्यवस्था भी स्वयं अनुबन्धकर्ता को ही करनी होगी। किसी कारणवश गाड़ी उपलब्ध नहीं होने पर मृत जानवर को पोस्टमार्टम के लिये स्वयं के साधन पर लाद कर पहुँचाना होगा।
9. बकरियों के ब्याते ही उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी एवं बकरी एवं उसके बच्चे को सेक्टर पर लाना होगा।
10. बकरियों/बकरों को चरागाह क्षेत्र में चराने के साथ-2 समयानुसार पेड़ों की छंगाई करके पत्तियाँ भी खिलानी होगी। पेड़ों की छंगाई उचित रूप (वैज्ञानिक तरीके) से करनी होगी तथा जानवरों को दाना/चारा देने का कार्य भी अनुबन्धकर्ता को करना होगा। दाना व चारा संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
11. सेक्टर पर आपूर्ति चारे की सुरक्षा तथा व्यवस्थित रूप से सुरक्षित स्थान पर रखना सुनिश्चित करना होगा। हरे चारे को आपूर्ति के समय तौलना तथा कुटी करके ही जानवरों को खिलाना होगा। चारा कुटी मशीन संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाई जावेगी। जिसके रख-रखाव की पूरी जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
12. अनुसंधान के दृष्टिकोण से सभी बकरियों/बकरों/मेंमनों को चराई के लिए निम्नानुसार रेवड़ में ले जाया जावे-
 - (क) तीन माह से छोटे बच्चें।
 - (ख) 3 माह से 12 माह तक के मेंमनें/बच्चें जो कि नर एवं मादा अलग-2 हो।
 - (ग) बकरें/बकरियों के रेवड़ निम्न प्रकार होंगे:-
 - (अ) ब्याई हुई बकरियाँ (ब) ग्याबिन बकरियाँ (स) बिना ब्याई बकरियाँ
 - (द) कमजोर व बीमार (आवश्यकतानुसार) (य) नर रेवड़
13. बकरा/बकरी/मेंमने के बाड़ों/ट्रफों की नियमित रूप से सफाई करनी होगी, खाद व कचरे को बताये अनुसार निर्धारित स्थान पर डालना होगा तथा पानी की खेलियों/ट्रफों की भी नियमित रूप से सफाई करनी होगी।
14. उपरोक्त के अतिरिक्त अनुबन्धकर्ता को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

(क) प्रक्षेत्र में चराई के दौरान ग्याबिन एवं ब्याही हुई बकरियों की विशेष देखभाल करनी होगी इसके लिए ग्याबिन एवं ब्याही हुई बकरियों के किसी भी रेवड़ में अधिकतम जानवरों की संख्या 100 तक ही रखनी होगी।

(ख) बीमार जानवरों के ईलाज व देखभाल/टीका लगाना, ड्रेसिंग करवाना एवं सेक्टर पर बीमार जानवरों के लिये दाना व पानी का अलग से प्रबन्ध करना होगा।

(ग) बकरियों/बकरों को साल में दो बार दवा के पानी से स्नान करवाना होगा। डिपिंग टैंक को उपयोग में लाने से पूर्व एवं उसके बाद भी साफ करना होगा।

(घ) आवश्यकतानुसार बकरियों/बकरों के मेंमनों/बच्चों का वजन करवाना, जांच के लिये जानवरों के रक्त के नमूने लेने के दौरान तथा खुर्चों एवं उनके बाल काटना, साथ ही संक्रमण से बचाने के लिये नियमित सफाई एवं सक्षम अधिकारी/प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार जानवरों के शरीर से बाल काटना होगा।

- (ड) बकरियों के मदकाल की जांच के लिये सुबह व शाम को बकरों को सक्षम अधिकारी/प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार रेवड़ में छोड़ना होगा। मद में आई बकरियों को अलग करना तथा सही प्रजनन के बाद गर्भित बकरियों को अलग करना होगा। नवजात मेंमनों/बच्चों की देखभाल करना, टेग लगवाना, पूँछ कटवाना, खूर कटवाना तथा नम्बर गोदने के कार्य में भी सहायता करना/करवाना होगा।
- (च) दाने को ट्रौली में भरकर सेक्टर पर खाली करना, बकरियों/बकरों के लिये चारे के शेड से चारा बाड़े में लाना आदि। ब्याई हुई बकरियों के बाड़े में चारा/घास की व्यवस्था करनी होगी। नया चारा डालने से पहले बताये अनुसार चारे के शेड की सफाई करनी होगी। अनाथ बच्चों व उन बच्चों को जिन्हें उनकी माँ दूध नहीं पिलाती है उनकी विशेष देखभाल करनी होगी।
- (छ) वर्ष में दो बार सभी बाड़ों के अन्दर एवं बाहर कम से कम 6 इन्च मिट्टी की खुदाई करके मिट्टी को प्रभारी, सेक्टर द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर बाहर डालना होगा तथा कीटाणु रहित नई मिट्टी डालनी होगी। सेक्टर के अन्दर व बाहर उगी हुई खरपतवार को हटाकर साफ सफाई सेक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार करनी होगी।
- (ज) ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को सेक्टर पर प्रभारी के निर्देशानुसार मेंमनों को दूध पिलाने के उपरान्त शेष बचे दूध को सुबह व सायं निकालना एवं दूध निष्पादन करने वाले ठेकेदार को देना होगा।
- (झ) दुध उत्पादन के प्रयोगात्मक कार्यों के लिए सेक्टर प्रभारी के निर्देशानुसार ब्याई हुई निर्दिष्ट बकरियों को बच्चों से अलग रखना होगा। तथा दुध रिकॉर्डिंग में सहायता करना होगा।
15. अनुबन्ध की अवधि के दौरान बकरी ईकाई पर नये पौधे लगाने व लगे हुये पेड़-पौधों की देखरेख करनी होगी एवं उनको पानी पिलाना होगा।
 16. सेक्टर एवं ग्रेजिंग एरिया में अनाधिकृत तरीके से बकरियों का दूध निकालते पकड़े जाने पर अनुबन्धकर्ता के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
 17. नए खरीदे गए जानवरों को निर्दिष्ट अवधि के लिए क्वारंटाइन सेक्टर में रखना होगा तथा उनके देखभाल एवं सुरक्षा की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को अलग से करनी होगी।
 18. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सेक्टर के पत्र/डाक आदि कार्यालय में पहुँचाने की व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।

अनुबन्धकर्ता द्वारा उपरोक्त दर्शाये अनुसार कार्य नहीं करने पर निम्नानुसार कटौतियाँ की जावेगी:—

1. सेक्टर व सेक्टर पर उपलब्ध सभी बाड़ों की प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार प्रतिदिन सफाई नहीं करने पर रूपये 600/— प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
2. यदि नाजायज मेंमना/बच्चा पैदा होता है तो उसका जुर्माना 1 से 5 बच्चों तक की राशि रु.1000 बच्चा, 6 से 10 मेंमनों/बच्चों तक की राशि रु.1500 प्रति मेंमनों/बच्चा तथा 10 से अधिक बच्चों पर 2000 रु प्रति बच्चों के हिसाब से जुर्माना देय होगा। नाजायज जुड़वा बच्चे पैदा होने पर जुर्माना की राशि सिर्फ एक बच्चे के बराबर ही वसूल की जायेगी, साथ ही नाजायज बच्चों को चराने एवं रखरखाव का खर्च नहीं दिया जायेगा।
3. बकरियों/बकरों की चराई संतोषजनक न होने पर एवं उनके वजन घटने पर अनुबन्धकर्ता के भुगतान के बिल में से रु. 100/— की कटौती प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से की जायेगी।
4. बकरियों/बकरों /मेंमनों को चराते समय जंगली जानवरों का हमला/शिकार हो जाने की स्थिति या अचानक मृत्यु होने पर संबंधित प्रभारी को सूचना उपरान्त, विभागीय/स्वीकृत समिति की जांच के बाद उनकी अनुशंसा पर बकरियों/बकरों/मेंमनों की किताबी कीमत (बुक वेल्यू) की कटौती, चरवाहे की लापरवाही/सतर्कता व बचाव प्रयास पर निर्भर होगी।
5. जानवरों को नहलाते समय अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से यदि किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इसके लिए जानवर की बुक वेल्यू हर्जाने के रूप में वसूल की जावेगा।
6. यदि अनुबन्धकर्ता परिस्थिति के कारण समय से पूर्व अनुबन्ध समाप्त करना चाहे तो संबंधित सेक्टर प्रभारी को एक माह पूर्व सूचित कर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है परन्तु इसके लिए उसकी जमानत राशि जब्त की जावेगी। साथ ही अनुबन्धकर्ता अगर बिना सूचना के अनुबन्ध छोड़ता है तो उसका संस्थान में प्रवेश वर्जित करने के उपरान्त उसकी जमानत राशि जब्त करते हुए उसे ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा।
7. अनुबन्धकर्ता की लापरवाही से बकरा/बकरी/मेंमनों के चराई क्षेत्र से गुम अथवा खो जाने की स्थिति में जानवर की बुक वेल्यू का तीन से पाँच गुना हर्जाना वसूला जावेगा।
8. किसी भी स्थिति में जानवर चोरी हो जाने से जानवर की बुक वेल्यू का पाँच गुना हर्जाना वसूला जावेगा।
9. अनुबन्धकर्ता को समय-समय पर अलग-2 स्थानों पर किये जाने वाले प्रयोगात्मक कार्यों में सहायता करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर प्रयोगात्मक कार्य करवाने हेतु आने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।
10. प्रभारी सेक्टर के निर्देशानुसार बाड़ों की खुदाई तथा नई मिट्टी डालने का कार्य नहीं किया जाता है तो संबंधित प्रभारी बाड़ों की खुदाई तथा नई मिट्टी डालने का कार्य करवाएगा तथा खुदाई कार्य में लगने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।
11. बाड़ों में ट्रेक्टर द्वारा मिट्टी डालते समय बाड़ों में लगी हुई चैनलिंग फेन्सिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिये यदि किसी तरह का नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी जिसके लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. उपरोक्त कार्य हेतु प्रति माह करीब 210 से 225 मानव कार्य दिवस के मध्य होंगे।
13. उक्त कार्य के लिये अनुबन्धकर्ता द्वारा प्रतिनिधि का समय पर प्रबंध नहीं होने पर उस कार्य के लिये सक्षम अधिकारी/प्रभारी अधिकारी द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के वेतन/मजदूरी का भुगतान अनुबन्धकर्ता को करना होगा।

यदि संस्थान द्वारा नियमित कर्मचारी/मजदूर लगाया जाता है तो उस कर्मचारी/मजदूर के उस दिन का वेतन के बराबर राशि की कटौती भी अनुबन्धकर्ता के देय बिल में से की जायेगी।

14. सेक्टर पर उपलब्ध सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थायी सम्पत्ति के चोरी/खो जाने पर उसकी कीमत की भरपाई अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
15. ठेकेदार/प्रतिनिधि को बताये गये सभी कार्य समय पर पूर्ण करने होंगे कार्य अपूर्ण या समय से पूर्व छोड़ने पर या संतोषजनक नहीं होने पर अथवा कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता/गैर जिम्मेदारी/अवज्ञा की गई तो ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल में से राशि की कटौती की जावेगी साथ ही अनुबन्ध को निरस्त करते हुये अमानत/जमानत राशि जब्त करली जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की स्वयं की होगी।

अनुबंध की सामान्य नियम व शर्तें

1. अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा एवं अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में संबंधित प्रभारी की अनुशंसा से अनुबन्ध को वर्तमान दर व नियम शर्तों पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबंधकर्ता/प्रतिनिधि को एक संगठित सरकारी फार्म में बकरी/भेड़ प्रबंधन, रख-रखाव आदि कार्यों का अनुभव होना चाहिए।
3. अनुबंधकर्ता/प्रतिनिधि को सेक्टर पर पूरा समय (24 घण्टे) के लिए उपलब्ध रहना होगा। वह कभी भी सेक्टर को खाली नहीं छोड़ सकते।
4. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।
5. चरवाहों को बकरी/भेड़ चराने एवं जानवरों को खिलाने के लिए स्थानीय पेड़ पौधों का ज्ञान होना चाहिए तथा जानवरों का टैग नम्बर पढ़ना आना चाहिए।
6. जानवर चराने के लिए लगाये गये श्रमिक तथा चरवाहे कम से कम बदले जावेंगे। साथ ही चरवाहा बदलने से पूर्व सेक्टर प्रभारी/प्रतिनिधि से अनुमति लेनी होगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
7. सेक्टर पर स्थित बकरियों/बकरों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नहीं रख सकेगें।
8. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र/सेक्टर के आस-पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।
9. अनुबन्धकर्ता को जानवरों की चराई सेक्टर प्रभारी द्वारा निर्धारित चरागाह क्षेत्र में समयानुसार चराना होगा साथ ही प्राकृतिक आपदा जैसे-आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने से जानवरों को सेक्टर पर लाना होगा तथा शेड के अन्दर रखना होगा। सेक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्य होने की स्थिति में भी प्रभारी सेक्टर/प्रतिनिधि के आदेशानुसार जानवरों को सेक्टर पर लाना होगा।
10. सर्दियों के मौसम में शेडों में पर्दा लगाना होगा। बिना किसी नुकसान के पर्दों को प्रतिदिन सुबह ऊपर उठाना और शाम को नीचे उतारना होगा। अत्यधिक सर्दी के समय चराई क्षेत्र से सूखी लकड़ी इकट्ठा करके सेक्टर पर लाना होगा तथा सेक्टर प्रभारी द्वारा बताये गए स्थानों पर रात के समय जलाना होगा। जलते हुए लकड़ी से सेक्टर पर आग न फैले इसका भी समुचित ध्यान रखना होगा।
11. जानवरों की चराई से सम्बन्धित कार्य संस्थान परिसर में संबंधित प्रभारी द्वारा निर्धारित चरागाह क्षेत्र में ही चराना होगा। बिना प्रभारी की अनुमति के चरागाह क्षेत्र नहीं बदला जावेगा।
12. अनुबंधकर्ता को नियमित रूप से चराई क्षेत्र में जाकर जानवरों का उचित चराई की निगरानी करनी होगी।
13. किसी भी जानवर के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी।
14. अनुबंधकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
15. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा।
16. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख-रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
17. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय-समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर /जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्ज राशि की भी कटौती की जावेगी।
18. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता है।
19. अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होंगे तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नहीं दी जावेगी।
20. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर निश्चित समय अवधि 30-45 दिन में किया जावेगा।
21. ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय-2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
22. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय-पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय-पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग में प्रस्तुत

- करना होगा। परिचय-पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान-पत्र आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
23. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
 24. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
 25. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
 26. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रैक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रैक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
 27. सफल ठेकेदार को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
 28. अनुबंध कार्य पर जीएफआर 2017 मिन्युवल फॉर प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज 2017 एवं समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी आदेश एवं संशोधन लागू होंगे।
 29. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
 30. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in & e-procure.gov.in पर उपलब्ध है।

Chapter III- General Terms & Conditions

1. Tenderers are advised to go through all the points mentioned in the terms and conditions of tender carefully before submitting the tender document. Incomplete/unsigned/conditional tenders will be summarily rejected and no correspondence will be entertained in this regard.
2. Before submission of the tender, the tenderer/contractor may inspect/visit the farm area site and get acquainted himself with reference to conditions and to nature of work required to be performed/executed at this Institute to avoid any ambiguity or confusion.
3. The contract will be awarded to the lowest quotee based on the rates quoted by the firm in. In case, the institute finds that the rates quoted by the tenderer is not sufficient to cover the cost of engaging minimum number of personnels at minimum wages along with other statutory requirement as specified by Govt. of India for Agricultural Sector, the institute may reject such tenders. In case of two or more tenderers quoting same rates, the tenderer having experience in relevant work will be given preference.
4. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason.
5. If successful tenderer does not accept the offer within 15 days, after issuance letter of award the offer will stand withdrawn & earnest money will be forfeited, and no correspondence will be entertained in this regard.
6. The successful firm will have to sign an agreement (format will be provided by the institute with offer) on non-judicial stamp paper of appropriate value not less than **Rs. 500/-** along with the **Security Deposit @3% of contract value in** form of Account Payee Demand Draft/banker's Cheque or Bank Guarantee / FDR/TDR in favour of ICAR Unit CSWRI, Avikanagar within 15 days after issue of letter of award. It is clarified that no interest on security deposit shall be payable and security deposit money will be refundable only after the expiry/termination of the contract period and adjusting the dues and /or forfeiture if any.
7. The contract will be awarded initially for a period of one year and thereafter, it can be extended for one more year, subject to the satisfactory performance, on the same terms & conditions as per discretion of Director.
8. The firm will be disqualified and black listed and security deposit forfeited, if it is found that they sublet the contract, wholly or partially, during the period of the contract. A register for complaint /surprise/routine checks shall be maintained by the contractor which may also be inspected by authority of institute.
9. All the deployed workers must be in sound health, between 18-55 years of age. The firm should submit police verification/ fitness certificate for each deployed worker and issue them an identity card as well as appropriate uniform at the cost of contractor.
10. It will be the responsibility of the firm to look after the health and welfare of the personnel deployed as per the statutory requirements and rules. Such records would be maintained in registers and should be produced as and when demanded by the Institute.
11. The contractor shall maintain a register of complaint/work and duties performed which shall be verified by the institute.
12. **PENALTY CLAUSE: LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE:** Any loss/damage occurred by the Firm/Firm to the Institute property during the transaction/currency of the contract, the clause of liquidated damages for **Rs.500/-** per day shall be imposed, if the Firm fails to replace/rectify the damage/loss within a week. In case of any of the above contingencies, the First Party shall have the right to terminate this agreement forthwith without notice and recover aforesaid amount for security deposit and shall not be liable to any damages and/ or loss, which may be suffered by the agency on account of termination of this agreement. The same shall be without any financial implication on part of the First Party. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
13. If the contractor does not discharge his duties up to the satisfaction of Incharge, Farm-Section/Representative, the contract will be terminated before expiry period and the security money will be forfeited.
14. In case any problem arises on account of non-compliance of any statutory Law, the sole responsibility will be on the concerned firm. The Institute will not be responsible for any liability in this regard.
15. If any loss is incurred to the institute due to negligence or malafied intentions of the firm or any of its employees, the firm will make good the losses incurred to institute. The decision of the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will be final and binding in this regard.
16. The firm must abide by all the Labour Laws in vogue for which the responsibility will solely be lying on the concerned firm. The payment to labourers engaged by the firm must be as per minimum wages prescribed by the Govt. of India for Agricultural Sector through the bank transfer, on or before 10th day of following month. The details of the payment are to be submitted to the office for processing the bill.
17. The labourers engaged by the firm will have no claim for any regular employment in the Institute/ICAR at any point of time, as this arrangement is purely on the contractual basis between the Institute and the firm.

18. In case of any accident/loss of life of the worker during discharging duties, all the liabilities/ compensation shall be borne by the firm and ICAR-CSWRI, Avikanagar shall not have responsibility in this regard.
19. The firm must submit proof of depositing the EPF and ESIC contributions along with the name and account numbers of the deployed labour and Challan of the deposited GST for the billing period (wherever applicable).
20. The bill in triplicate for work carried out in billing period is to be submitted in the Office for claiming the monthly payment through a Coordinator appointed by the Institute. No part payment request would be entertained.
21. The Director ICAR-CSWRI, Avikanagar reserves the right to review the performance whenever felt necessary also to terminate the contract at any point of time during the tenure of contract in case the performance and service rendered by firm are found to be unsatisfactory, without giving any prior notice. The decision of Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.
22. Contract can also be terminated at any point of time if the above mentioned work is no more required. Contract cannot be terminated by contractor firm before expiry of the contract period. **Violation would invite forfeiture of security deposit.**
23. In the case of any dispute between the institute and the firm, the Director, ICAR-CSWRI, Avikanagar will appoint an arbitrator within one month of the dispute, whose decision will be binding on both the parties, the legal jurisdiction will be Malpura only.
24. The TDS will be deducted as per Income tax extant rules.
25. The contractor or its worker shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which contract is awarded.
26. The contractor/ his authorized representative shall report immediately whenever called by Incharge sector on receiving telephone message to attend any complaint.
27. The Contractor firm or its partners/Directors should not be declared insolvent any time. Further they are not declared defaulters / black listed by any Bank/ Financial Institute/ State oriented Govt. organization, Autonomous body etc.

Assistant Administrative Officer
(S&P)

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

F.No. 6(377)SP/2017

दिनांक: 12.07.2022

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित सिरोही बकरियों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्तें भली-भाँति पढ़ली हैं तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के बकरी सेक्टर पर स्थित सिरोही बकरियों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रैक्ट/जॉब कोन्ट्रैक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग या उनके प्रतिनिधि से समय-समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यों का पूर्ण ज्ञान है।

मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय-समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली-भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रैक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मैं किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक —————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

भा.कृ.अ.प.—केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील—मालपुरा, जिला—टोंक, राजस्थान —304 501

F.No. 6(377)SP/2017

दिनांक: 12.07.2022

वित्तीय निविदा प्रपत्र

संस्थान के पशु आनुवंशिकी एवं प्रजनन विभाग के अधीन बकरी सेक्टर पर स्थित सिरोही बकरियों पर अनुसंधान कार्यों में सहायता करने से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर करने की दरे **BOQ** मे प्रस्तुत करें।

दिनांक —————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.